

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/1243/17/भागमल व अन्य बनाम सरकार दिनांक 04 / 10 / 2017
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक-विधि), प्रभारी अधिकारी,
जयपुर ।

विषय - याचिका संख्या 1243/17 भागमल व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य का तथ्यात्मक प्रतिवेदन ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत याचिका संख्या 1243/17 भागमल व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य का तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर आपकी सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)ए के प्राग्धानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विषय राजनीति विज्ञान की चयन वर्ष 2016-17 हेतु आयोजित रिज्यू डीपीसी बैठक में निम्नांकित अभ्यर्थियों का नाम रिज्यू रिवीजन सूची से विलोपित करने की अनुशंसा की गई जिसका कारण अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित है -


क्र. सं.	याचिका संख्या	नाम याचिकार्थी	वरि क्र.	वरि वर्ष	रिज्यू रिवीजन से नाम विलोपित करने का कारण
1	1243/17	भागमल	12538	2011-12	वरिष्ठता अनुसार सूची में सम्मिलित योग्य नहीं बनने के कारण
2	13946/17	रीमा कुमारी	11693	2011-12	वरिष्ठता अनुसार सूची में सम्मिलित योग्य नहीं बनने के कारण
3	4510/17	राजबाला	11825	2011-12	वरिष्ठता अनुसार सूची में सम्मिलित योग्य नहीं बनने के कारण
4	1308/17	अंजना बेनीवाल	12432	2011-12	वरिष्ठता अनुसार सूची में सम्मिलित योग्य नहीं बनने के कारण
5	9472/17	अनुराज	11865	2011-12	वरिष्ठता अनुसार सूची में सम्मिलित योग्य नहीं बनने के कारण

चयन वर्ष 2017-18 के लिए राजनीति विज्ञान विषय में वरिष्ठता क्रम कटआफ निम्न प्रकार है-

सामान्य वर्ग - वरिष्ठता क्रमांक 6996/11-12


एससी/एसटी - वरि. क्र. 1335/11-12

उल्लेखनीय है कि चयन वर्ष 2017-18 की डीपीसी के लिये भी उक्त याचिकार्थी पात्र नहीं थे अतः जिस चयन वर्ष की पदोन्नति के लिये उक्त याचिकार्थी पात्र होंगे तदनुसार इनकी पदोन्नति एवं पदस्थापन कर दिये जाएंगे ।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:- अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग उनके पत्रांक क्रमांक शिविरा-मा/विधि/ बी-2/ 29895 / 2017 दिनांक 10.04.17 के क्रम में सूचनार्थ ।

2. कंप्यूटर एनालिस्ट को


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर